तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	17/02/25 पत्रावली पेश [illegible] द्वारा [illegible] रिडर/P.O. [illegible] में [illegible] होने से [illegible] गया आदेश [illegible] दिनांक 19/02/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
19/02/25	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 25/11/2024 को खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्बफ़ैसला मूल वाद रहा। [signature] 19/2/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई

मु.न. 150 / 2024
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक 19.02.2025

उनवान

1. कल्याण पुत्र रामनारायण
2. रमेश चंद पुत्र रामनारायण
3. हरिनारायण पुत्र रामनारायण

} समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी धोली गुमटी पावर हाउस के पास बसवा रोड नारायणपुरा तहसील बांदीकुई

:— प्रार्थीगण

बनाम

1. अंकित पुत्र वेदप्रकाश
2. अंजली पुत्री ओमप्रकाश
3. आशुतोष पुत्र प्रेमकुमार
4. कृष्णअवतार पुत्र प्रेमकुमार
5. गायत्री पत्नि ओमप्रकाश
6. नरेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश
7. भवनेश्वर पुत्र वेदप्रकाश
8. मंजू पुत्री ओमप्रकाश
9. ममता पुत्री आमप्रकाश
10. रमा पत्नि प्रेम कुमार
11. शालिनी पुत्री प्रेमकुमार
12. शीला पत्नि वेदप्रकाश
13. सुषमा पुत्री प्रेमकुमार
14. सीमा पुत्री प्रेमकुमार

} समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी धोली गुमटी पावर हाउस के पास बसवा रोड नारायणपुरा तहसील बांदीकुई

15 शाति पत्नि रामकिशोर
16. शिवप्रसाद पुत्र रामकिशोर

} जाति ब्राहम्ण निवासी निवासी मौहल्ला वार्ड नंबर 31 बसवा रोड बांदीकुई

17. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई

—: अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ::

::आदेश::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जरिये वकील इस आशय का से पेश कि वाके हाल ग्राम नारायणपुरा पूर्व ग्राम कोलाना में स्थित सेटलमेनट पूर्व खसरा नंबर 371

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 475 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार रूगनाथ, रामनारायण पिसरान भूरया हिस्सा 2/3 व रामकिशोर पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण थे। पूर्व उक्त भूमि राजस्व ग्राम कोलाना में स्थित थी वर्तमान में उक्त भूमि ग्राम नारायणपुर में आ गयी है। उक्त बाद पत्र के जिम्मन नंबर 1 में वर्णित भूमि का रूगनाथ रामनारायण व रामकिशोर ने तकास्मा करके और खाते अलग अलग हो गये और रामनारायण के हक हिस्से में सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 371 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में से 8 बीघा १ बिस्वा भूमि आयी जिसका नंबर 371/1 बनाया गया व खसरा नंबर 475 ने से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि आयी जिसका नंबर 475/1 बनाया गया और नामान्तकरण तकास्मे का भरा जाकर उक्त भूमि का खातेदार व काबिज काश्तकार रामनारायण को अंकित किया व रामकिशोर पुत्र रामनाथ के खसरा नंबर 371 में से 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि आयी जिसका नंबर 371/2 बनाया गया व खसरा नंबर 475 में से 1 बीघा भूमि आयी जिसका नंबर 475/3 बनाया गया इस प्रकार तकास्मा होकर और खसरा नंबर 371/1 रकर 8 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 475/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काबिज काश्तकार रामनारायण रहा व खसरा नंबर 371/2 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 475/3 रकबा 1 बीघा का खातेदार रामकिशोर पुत्र रामनाथ रहा। उक्त अनुसार तकास्मा होकर और नामान्तकरण भरा गया तथा नामान्तकरण की पुश्त पर खसरा नंबर 371 में से जो भूमि रामकिशोर के हक में आयी उसका नक्शा बनाया गया और जो भूमि रामनारायण के हक मे आयी उसका नक्शा बनाया गया और उक्त नामान्तकरण के पीछे बनाये गये नक्शे अनुसार खसरा नंबर 371/1 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा पर रामनारायण काबिज रहा व खसरा नंबर 371/2 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा पर रामकिशोर काबिज रहा। उक्त रामनारायण की मृत्यु हो गयी है और रामनारायण के वारिस प्रार्थीगण है तथा रामकिशोर का भी देहान्त हो गया है और उक्त रामकिशोर के आज दिन वारिस अप्रार्थी नंबर 01 लगा0 16 है। उक्त गाँव मे कुछ वर्षों पूर्व सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो को सेटलमेन्ट पूर्व रिकार्ड अनुसार ही नया रिकार्ड बनाना चाहिए था, सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व के नक्शे व जमाबंदी में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था सेटलमेनट विभाग द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही अवैध अमान्य व प्रभावशून्य कार्यवाही है। सेटलमेन्ट होकर खसरा नंबर 371/1 के नये खसरा नंबर 621 रकबा 0.2800 है०, खसरा नंबर 623 रकबा 0.6700 है०, खसरा नंबर 625 रकबा 0.6500 है०, खसरा नंबर 624 रकबा 0.6500 है० बनाये गये है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 372/2 के नये खसरा नंबर 615 रकबा 0. 4100 है०, खसरा नंबर 616 रकबा 0. 4600 हैं० खसरा नंबर 617 रकबा 0. 0300 है०, खसरा नंबर 618 रकबा 0.8300 है० खसरा नंबर 619 रकबा 0. 5300 है०, खसरा नंबर 620 रकबा 0.2100 है०, खसरा नंबर 622 रकबा 0.2700 है0 बनाये है। वादीगण ने खसरा नम्बर 624 मे से 0.0600 है. विक्रय कर दी शेष वादीगण की भूमि का ख.न. 662/624 रकबा 0.5900 है. रहा है। सेटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थीगण का रकबा तो सेटलमेनट पूर्व अनुसार सही बना दिया किन्तु जो सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा बनाया गया उस नक्शे में हेरा फेरी कर दी जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण के हिस्से में नक्शा में वर्णित खसरा नंबर 622 621, 620, 619 मे से लाल रंग से दर्शायी गयी लगभग 0.2800 है० भूमि प्रार्थीगण के साबिका खसरा नंबर 371/1 का भाग है किन्तु उक्त नक्शे में खसरा नंबर 622, 620, 619 में दर्शित लाल रंग की भूमि को अप्रार्थीगण के नाम लगा दिया व खसरा नंबर 621 की भूमि प्रार्थीगण के खाते में लगा दी जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। नक्शे में वर्णित

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 623, 624, 625 के सम्पूर्ण रकबे एवं खसरा नंबर 622, 621, 620, 619 के नक्शा टेस में लाल रंग से दर्शाये गये भाग पर मौके पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा है और उक्त भूमि प्रार्थीगण साबिका खसरा नंबर 371/1 का भाग है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने बुर्जुगो के समय से काबिज चले आ रहे है। व आज भी काबिज है। सेटलमेनट विभाग द्वारा की गयी उक्त गडबडी का प्रार्थीगण को कतई ज्ञान नहीं था सर्व प्रथम दिनांक 15.10.2024 को प्रार्थी कल्याण अपनी उक्त भूमि पर था कि अप्रार्थी नंबर 1, 3, 4 मौके पर कई लोगों को लेकर आये और उक्त नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी भूमि दिखाने लगे तो प्रार्थी कल्याण ने उक्त लोगो से कहा कि क्या दिखा रहे हो तो उक्त लोगो ने धमकी दी कि उक्त तुम्हारे कब्जे की भूमि रिकार्ड में हमारे नाम है इसलिये हम उक्त तुम्हारे कब्जे की भूमि को विक्रय करेंगे तथा तुम्हे बेदखल करेगे तो प्रार्थी कल्याण ने उक्त लांगों से कहा कि उक्त भूमि शुरू से ही हमारे कब्जे व स्वामित्य की भूमि है आप कैसे विक्रय कर सकते हो तो उन्होने कहा कि उक्त भूमि आज दिन रिकार्ड में हमारे नाम है इसलिये हम किसी लाठी वाले को विक्रय करेगे जो तुम्हे अपने आप बेदखल कर देगा और मौके पर कब्जा कर लेगा प्रार्थी कल्याण ने उक्त लोगो को बड़ी मुश्किल समझा बुझाकर भेजा किन्तु वे जाते जाते धमकी देकर गये है कि उक्त भूमि से तुम्हे बेदखल करेगे और जबरन निर्माण कार्य करेगे और यदि बेदखल नहीं कर सके तो किसी लाठी वाले को विक्रय करेगे जो अपने आप बेदखल करके निर्माण कार्य कर लेगा करना हो सो कर लेना तब उक्त रिकार्डो की नकल ली तो जानकारी में आया कि सेटलमेन्ट ने रिकार्ड में गलती कर दी अतः बिनाय मुख्यात पैदा होकर दावा करना लाजिम आया व अधिघोषणा कराना व दुरूस्ती कराना व अप्रार्थीगण नंबर 1 लगा० 16 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है व वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस है सुविधा की तुला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि वाद के निणर्य तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सभव नहीं होगी और प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील बांदीकुई मे स्थित वर्तमान खसरा नंबर 619, 320, 621, 622 के नक्शा टेस में लाल रंग से दर्शायी गयी लगभग 0.28 है० भूमि जो प्रार्थीगण के साबिका खसरा नंबर 371/1 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा का भाग है के कब्जे प्रार्थीगण में अप्रार्थीगण 1 लगा0. 16 स्वंय अपने एजेन्टो नौकरो रिश्तेदारों से कोई दखल नही पहुंचावे एवं उक्त भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे एवं किसी अन्य को रहन विक्रय नहीं करे एवं भूमि के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे व मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण में दिनांक 25.11.2024 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण सं. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 11, 13, 14, की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 02 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 03 में वर्णित कथन वादग्रस्त भूमि साबिका नम्बर 371, 345 का रुगनाथ, रामनारायण, रामकिशोर ने आपसी सहमति से तकास्मा करना स्वीकार है एवं मुताबिक तकास्मा रामनारायण के हक में खसरा नं. 371 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में से 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि दक्षिणी हिस्से में

Scanned with OKEN Scanner

आयी खसरा नं. 475 में से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि आना एवं रामकिशोर पुत्र रामनाथ के खसरा नं. 371 में से 10 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 475 में से 1 बीघा भूमि आना स्वीकार है तथा उसी अनुसार पक्षकारान आज तक काबिज काश्त होना स्वीकार है बाकी कथन गलत है स्वीकार नही है। वास्तविक तथ्य यह है कि तत्कालीन खातेदारान रामनारायण, रघुनाथ, रामकिशोर द्वारा दिनांक 19.01.1973 को उप पंजीयक कार्यालय बसवा के समक्ष बंटवारा नामा इस आशय का तहरीर कर पंजीकृत कराया कि खसरा नं. 371 रकबा 19 बिस्वा 14 बिस्वा एवं खसरा नं. 475 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि में 1/3 रामनारायण, रघुनाथ, रामकिशोर प्रत्येक का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा है तथा उसी अनुसार प्राथीगण के पूर्वक रामनारायण के हिस्से में खसरा नं. 475 में से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि बांदीकुई बसवा रोड़ के समानान्तर एवं खसरा नं. 371 में से 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि दक्षिण हिस्से में कुल भूमि 11 बीघा 17 बिस्वा रही तथा उसी अनुसार रघुनाथ पुत्र भूरया के हिस्से में खसरा नं. 475 में से रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि पश्चिम की ओर रेलवे लाईन की तरफ रहेगी एवं उसी प्रकार मिन अप्रार्थीगण के 2 पूर्वज रामकिशोर पुत्र रामनाथ के हिस्से में खसरा नं. 371 में से रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा हिस्से में रहेगी। जो भूमि खसरा नं. 371 में बसवा–बांदीकुई रोड़ पर समानान्तर दो हिस्से की भूमि पर व रामकिशोर एवं एक हिस्से पर रामनारायण का कब्जा था तथा उसी अनुसार खसरा नं. 475 में से बसवा–बांदीकुई सड़क पर समानान्तर 2 बीघा 19 बिस्वा अर्थात सड़क के सहारे तीन हिस्सो पर रामनारायण एवं एक हिस्से पर रामकिशोर का कब्जा था तथा उसी कब्जे अनुसार विधिक तकास्मा कराकर पक्षकारान काबिज है तथा उसी अनुसार मिन अप्रार्थीगण का आज दिन तक कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 04 में वर्णित कथन जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नहीं है। तत्तकालीन खातेदार द्वारा मौके अनुसार भूमि का दिनांक 19.01.1973 को विधिवत बंटवारा कर उस पर प्रत्येक ने अपने हस्ताक्षर व निशानी कर बंटवारा उप पंजीयक कार्यालय में तस्दीक किया गया जिसमें भी खसरा नं. 371 पर बसवा–बांदीकुई रोड़ पर दो हिस्से पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशोर का हिस्सा रहा है तथा उसी अनुसार आज भी साबिका नं. 371 पर बसवा–बांदीकुई सड़क पर 2/3 हिस्से पर रामकिशोर के वारिसान व 1/3 हिस्सो पर रामनारायण के वारिसान का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थीगण का कथन की तकास्मा होकर नामान्तकरण की पुस्त पर नक्शा बनाया गया है कतई गलत है। नक्शा किसने बनाया है नक्शा नविज के उस पर कोई हस्ताक्षर है न ही तत्तकालीन खातेदारान रामकिशोर, रामनारायण, रघुनाथ के कोई हस्ताक्षर या निशानी है ना ही हल्का पटवारी या तहसीलदार के इस पर कोई हस्ताक्षर है तथा कथित नामान्तकरण की पृष्ठ पर प्रार्थीगण द्वारा सरकारी हल्कारान से सांज कर कतई गलत व फर्जी बनवाकर अप्रार्थीगण की सम्पति को हड़पने की गरज से कतई गलत दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 05 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 06 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों की त्रुटि से मुताबिक तकास्मा दिनांक 19.01.1973 के अनुसार नक्शा सीट में तरमीन नही करने से तथा तकास्मा नामा का अवलोकन किये बिना व बिना अप्रार्थीगण के 3 पूर्वज रामकिशोर की सहमति से वर्तमान नक्शा सीट में जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा बैरंग सुर्ख ए, बी, सी अनुसार उक्त रकबा मिन अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व का सदैव से रहा है तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा बैरग सुर्ख ए, बी, सी रकबा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 623 में गलत मिला दिया।

Scanned with OKEN Scanner

इसकी जानकारी प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होने तक दस्तावेजात की नकल निकलवाकर तथा मौके की स्थिति की नाप कराने पर जानकारी हुई तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा बैरंग सुर्ख ए, बी, सी वाली भूमि जो गलत रूप से प्रार्थीगण के हिस्से में मिला दी वह अप्रार्थीगण के अधिकारो तक सदैव से शून्य व निष्प्रभावी है तथा उक्त अवैध कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 07 मिन अप्रार्थीगण की जानकारी के अभाव में स्वीकार नही बेचान बाबत सिद्ध करने का भार स्वयं प्रार्थीगण का है जो स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 08 में खसरा नं. 621 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम करने बाबत कथन स्वीकार है शेष कथन गलत है स्वीकार नही है। नजरी–नक्शा प्रार्थीगण द्वारा मौके व रिकॉर्ड से कतई भिन्न प्रस्तुत किया है। खसरा नं. 622, 621 की भूमि से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है। वास्तविक तथ्य यह है कि मुताबिक बंटवारा दिनांक 19.01.1973 के अनुसार साबिका नम्बर 475 पर 2/3 हिस्सा बसवा–बांदीकुई सडक पर समानान्तर एवं साबिका नम्बर 371 पर 1/3 हिस्सा बसवा–बांदीकुई सड़क पर समानान्तर प्रार्थीगण के पूर्वज रामनारायण का रहा है तथा उसी अनुसार साबिका नम्बर 371 पर 2/3 हिस्सा बसवा–बांदीकुई सड़क के लगते हुये समानान्तर एवं साबिका नम्बर 475 में 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशोर का कब्जा व स्वामित्व रहा है तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वर्तमान नक्शा सिट बनाते समय खसरा नं. 621 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राज कर दिया एवं खसरा नं. 623 में बैरंग सुर्ख ए, बी, सी स्थान जो अप्रार्थीगण का साबिका नम्बर 371 का रामकिशोर के हिस्से का है उसे कतई गलत प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज कर दिया तथा खसरा नं. 620 व 619 दक्षिण हिस्सा बैरंग सुर्ख ही, ई, एफ, जी भूमि जो प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की है। उसका अप्रार्थीगण के नाम नक्शासीट में इन्द्राज कर दिया जिसको अप्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। खसरा नं. 623 बैरग सुर्ख ए, बी, सी करीब 50 फिट चौडाई बसवा–बांदीकुई सड़क पर अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। जिसका गलत इन्द्राज प्रार्थीगण की नक्शा सीट में कर दिया। जिसको दुरूस्त कर बैरग सुर्ख ए, बी, सी भूमि को नक्शा सीट में अप्रार्थीगण की भूमि में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थीगण खसरा नं. 622 में किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 09 कतई गलत है स्वीकार नही है। खसरा नं. 623 में बैरग सुर्ख ए, बी, सी एवं खसरा नं. 622 सम्पूर्ण पर अप्रार्थीगण का कब्जा व स्वामित्व है एवं खसरा नं. 620 व 601 में दिशा दक्षिण की ओर बैरग सुर्ख डी, ई, एफ, जी भाग पर प्रार्थीगण काबिज है तथा उसी अनुसार पक्षकारान अपने बुजुर्गों से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 10 कतई गलत व मनगढन्त है स्वीकार नही है। बसवा–बांदीकुई सड़क विकसित होने से प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई तथा वह खसरा नं. 623 में बैरंग सुर्ख ए, बी, सी स्थान को दीगर लोगो को बेचान कर जबरिया कब्जा कराने पर आमादा है तथा बैरंग सुर्ख ए, बी, सी साबिका नम्बर 371/2 का भाग होने से साबिका नम्बर 371/2 के खातेदार रामकिशोर होने से अप्रार्थीगण रामकिशोर के वारिसान है तथा भूमि के वास्तविक मालिक व स्वामी है तथा वास्तविक स्वामी के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। प्राईमाफेसाई केस एवं सुविधा की तुला का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अनुतोष कतई गलत है स्वीकार नही है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 16 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न पेश

Scanned with OKEN Scanner

है:– प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 02 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 03 में वर्णित कथन वादग्रस्त भूमि साबिका नम्बर 371, 345 का रूगनाय, रामनारायण, रामकिशोर ने आपसी सहमति से तकास्मा करना स्वीकार है एवं मुताबिक तकास्मा रामनारायण के हक में खसरा नं. 371 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में से 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि दक्षिणी हिस्से में आयी खसरा नं. 475 में से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि आना एवं रामकिशोर पुत्र रामनाथ के खसरा नं. 371 में से 10 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 475 में से 1 बीघा भूमि आना स्वीकार है तथा उसी अनुसार पक्षकारान आज तक काबिज–काश्त होना स्वीकार है बाकी कथन गलत है स्वीकार नही है। वास्तविक तथ्य यह है कि तत्तकालीन खातेदारान रामनारायण, रघुनाथ, रामकिशोर द्वारा दिनांक 19.01.1973 को उप पंजीयक कार्यालय बसवा के समक्ष बंटवारा नामा इस आशय का तहरीर कर पंजीकृत कराया कि खसरा नं. 371 रकबा 19 बिस्वा 14 बिस्वा एवं खसरा नं. 475 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि में 1ध्3 रामनारायण, रघुनाथ, रामकिशोर प्रत्येक का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा है तथा उसी अनुसार प्राथीगण के पूर्वक रामनारायण के हिस्से में खसरा नं. 475 में से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि बांदीकुई बसवा रोड़ के समानान्तर एवं खसरा नं. 371 में से 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि दक्षिण हिस्से में कुल भूमि 11 बीघा 17 बिस्वा रही तथा उसी अनुसार रघुनाथ पुत्र भूरया के हिस्से में खसरा नं. 475 में से रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि पश्चिम की ओर रेलवे लाईन की तरफ रहेगी एवं उसी प्रकार मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशोर पुत्र रामनाथ के हिस्से में खसरा नं. 371 में से रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा हिस्से में रहेगी। जो भूमि खसरा नं. 371 में बसवा–बांदीकुई रोड़ पर समानान्तर दो हिस्से की भूमि पर व रामकिशोर एवं एक हिस्से पर रामनारायण का कब्जा था तथा उसी अनुसार खसरा नं. 475 में से बसवा–बांदीकुई सड़क पर समानान्तर 2 बीघा 19 बिस्वा अर्थात सड़क के सहारे तीन हिस्सो पर रामनारायण एवं एक हिस्से पर रामकिशोर का कब्जा था तथा उसी कब्जे अनुसार विधिक तकास्मा कराकर पक्षकारान काबिज है तथा उसी अनुसार मिन अप्राथीगण का आज दिन तक कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 04 में वर्णित कथन जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। तत्तकालीन खातेदार द्वारा मौके अनुसार भूमि का दिनांक 19.01.1973 को विधिवत बंटवारा कर उस पर प्रत्येक ने अपने हस्ताक्षर व निशानी कर बंटवारा उप पंजीयक कार्यालय में तस्दीक किया गया जिसमें भी खसरा नं. 371 पर बसवा–बांदीकुई रोड़ पर दो हिस्से पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशोर का हिस्सा रहा है तथा उसी अनुसार आज भी साबिका नं. 371 पर बसवा–बांदीकुई सड़क पर 2/3 हिस्से पर रामकिशोर के वारिसान व 1/3 हिस्सो पर रामनारायण के वारिसान का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थीगण का कथन की तकास्मा होकर नामान्तकरण की पुस्त पर नक्शा बनाया गया है कतई गलत है। नक्शा किसने बनाया है नक्शा नविस्त के उस पर कोई हस्ताक्षर है न ही तत्तकालीन खातेदारान रामकिशोर, रामनारायण, रघुनाथ के कोई हस्ताक्षर या निशानी है ना ही हल्का पटवारी या तहसीलदार के इस पर कोई हस्ताक्षर है तथा कथित नामान्तकरण की पृष्ठ पर प्रार्थीगण द्वारा सरकारी हल्कारान से सांज कर कतई गलत व फर्जी बनवाकर अप्रार्थीगण की सम्पति को हड़पने की गरज से कतई गलत दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 05 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 06 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों की त्रुटि से मुताबिक तकास्मा दिनांक 19.01.1973 के अनुसार नक्शा सीट में तरमीन नही करने से तया तकास्मा नामा का अवलोकन किये बिना व बिना अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशोर की सहमति से वर्तमान

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा सीट में जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा बैरंग सुर्ख ए, बी, सी अनुसार उक्त रकबा मिन अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व का सदैव से रहा है तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा बैरग सुर्ख ए, बी, सी रकबा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 623 में गलत मिला दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होने तक दस्तावेजात की नकल निकलवाकर तया मौके की स्थिति की नाप कराने पर जानकारी हुई तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा बैरंग सुर्ख ए, बी, सी वाली भूमि जो गलत रूप से प्रार्थीगण के हिस्से में मिला दी वह अप्रार्थीगण के अधिकारो तक सदैव से शून्य व निष्प्रभावी है तथा उक्त अवैध कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 07 मिन अप्रार्थीगण की जानकारी के अभाव में स्वीकार नही बेचान बाबत सिद्ध करने का भार स्वयं प्रार्थीगण का है जो स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 08 में खसरा नं. 621 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम करने बाबत कथन स्वीकार है शेष कथन गलत है स्वीकार नही है। नजरी–नक्शा प्रार्थीगण द्वारा मौके व रिकॉर्ड से कतई भिन्न प्रस्तुत किया है। खसरा नं. 622, 621 की भूमि से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है। वास्तविक तथ्य यह है कि मुताबिक बंटवारा दिनांक 19.01.1973 के अनुसार साबिका नम्बर 475 पर 2/3 हिस्सा बसवा बांदीकुई सड़क पर समानान्तर एवं साबिका नम्बर 371 पर 1/3 हिस्सा बसवा–बांदीकुई सड़क पर समानान्तर प्रार्थीगण के पूर्वज रामनारायण का रहा है तथा उसी अनुसार साबिका नम्बर 371 पर 2/3 हिस्सा बसवा–बांदीकुई सड़क के लगते हुये समानान्तर एवं साबिका नम्बर 475 में 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशोर का कब्जा व स्वामित्व रहा है तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वर्तमान नक्शा सिट बनाते समय खसरा नं. 621 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राज कर दिया एवं खसरा नं. 623 में बैरंग सुर्ख ए, बी, सी स्थान जो अप्रार्थीगण का साबिका नम्बर 371 का रामकिशोर के हिस्से का है उसे कतई गलत प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज कर दिया तथा खसरा नं. 620 व 619 दक्षिण हिस्सा बैरंग सुर्ख डी, ई, एफ, जी भूमि जो प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की है। उसका अप्रार्थीगण के नाम नक्शासीट में इन्द्राज कर दिया जिसको अप्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। खसरा नं. 623 बैरग सुर्ख ए, बी, सी करीब 50 फिट चौडाई बसवा–बांदीकुई सड़क पर अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। जिसका गलत इन्द्राज प्रार्थीगण की नक्शा सीट में कर दिया। जिसको दुरूस्त कर बैरग सुर्ख ए, बी, सी भूमि को नक्शा सीट में अप्रार्थीगण की भूमि में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थीगण खसरा नं. 622 में किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 09 कतई गलत है स्वीकार नही है। खसरा नं. 623 में बैरग सुर्ख ए, बी, सी एवं खसरा नं. 622 सम्पूर्ण पर अप्रार्थीगण का कब्जा व स्वामित्व है एवं खसरा नं. 620 व 601 में दिशा दक्षिण की ओर बैरग सुर्ख डी, ई, एफ, जी भाग पर प्रार्थीगण काबिज है तथा उसी अनुसार पक्षकारान अपने बुजुर्गो से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 10 कतई गलत व मनगढन्त है स्वीकार नही है। बसवा–बांदीकुई सड़क विकसित होने से प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई तथा वह खसरा नं. 623 में बैरंग सुर्ख ए, बी, सी स्थान को दीगर लोगो को बेचान कर जबरिया कब्जा कराने पर आमादा है तथा बैरंग सुर्ख ए, बी, सी साबिका नम्बर 371/2 का भाग होने से तथा साबिका नम्बर 371/2 के खातेदार रामकिशोर होने से अप्रार्थीगण रामकिशोर के वारिसान है तथा भूमि के वास्तविक मालिक व स्वामी है तथा वास्तविक स्वामी के

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। प्राईमाफेसाई केस एवं सुविधा की तुला का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अनुतोष कतई गलत है स्वीकार नही है।विशेष कथन खसरा नं. 622, 621 की भूमि से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है। वास्तविक तथ्य यह है कि मुताबिक बंटवारा दिनांक 19.01.1973 के अनुसार साबिका नम्बर 475 पर 2/3 हिस्सा बसवा–बांदीकुई सड़क पर समानान्तर एवं साबिका नम्बर 371 पर 1/3 हिस्सा बसवा बांदीकुई सड़क पर समानान्तर प्रार्थीगण के पूर्वज रामनारायण का रहा है तथा उसी अनुसार साबिका नम्बर 371 पर 2ध्3 हिस्सा बसवा बांदीकुई सड़क के लगते हुये समानान्तर एवं साबिका नम्बर 475 में 1ध्3 हिस्से पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशोर का कब्जा व स्वामित्व रहा है तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वर्तमान नक्शा सिट बनाते समय खसरा नं. 621 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राज कर दिया एवं खसरा नं. 623 में बैरंग सुर्ख ए, बी, सी स्थान जो अप्रार्थीगण का साबिका नम्बर 371 का रामकिशोर के हिस्से का है उसे कतई गलत प्रार्थीगण के नाम नक्शासीट में इन्द्राज कर दिया तथा खसरा नं. 620 व 619 दक्षिण हिस्सा बैरंग सुर्ख डी, ई, एफ, जी, भूमि जो प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की है। उसका अप्रार्थीगण के नाम नक्शासीट में गलत इन्द्राज कर दिया जिसको अप्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। खसरा नं. 623 बैरंग सुर्ख ए, बी, सी करीब 50 फिट चौडाई बसवा–बांदीकुई सड़क पर अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। जिसका गलत इन्द्राज प्रार्थीगण की नक्शासीट में कर दिया। जिसको दुरूस्त कर बैरग सुर्ख ए, बी, सी भूमि को नक्शा सीट में अप्रार्थीगण की भूमि में नक्शासीट में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से खसरानं. 623 के दिशा उत्तर की ओर नजरी नक्शा में वर्णित ए, बी.सी. भाग पर अपने गलत नाम की आड में दीगर लोगों को बेचान कर तथा पुख्ता निर्माण कर अप्रार्थीगण को उसके हक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। यदि प्रार्थीगण अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा पक्षकारान में कई प्रकार के मुकदमेबाजी होकर अप्रार्थीगण बर्बाद हो जावेगे। इसलिए खसरा नं. 623 में प्रार्थीगण व उसके मददगारान नौकर एजेन्ट व उनके परिवारजन को इस आशय से प्रतिबन्धित किया जावे की वे अप्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि बरंगसुर्ख ए.बी.सी. को किसी भी दीगर सख्स को रहन, बेचान न करे ना ही किसी प्रकार का खामया पुख्ता निर्माण करने से प्रतिबन्धित रहे। इस हेतु पृथक से काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखी है। जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं दावा पत्रावली एवं प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विनिश्चिय हेतु तीन आधारभूत विचारणीय बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सूविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति।

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि वादग्रस्त भूमि का कुछ वर्षों पूर्व सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो को सेटलमेन्ट पूर्व रिकार्ड अनुसार ही नया रिकार्ड बनाना चाहिए था, सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व के नक्शे व जमाबंदी में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था सेटलमेनट विभाग द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही अवैध अमान्य व प्रभावशून्य कार्यवाही है। सेटलमेन्ट होकर खसरा नंबर 371/1 के नये खसरा नंबर 621 रकबा 0.2800 है०, खसरा नंबर 623 रकबा 0.6700 है०, खसरा नंबर 625 रकबा 0.6500 है०, खसरा नंबर 624 रकबा 0.6500 है० बनाये गये है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 372/2 के नये खसरा नंबर 615 रकबा 0. 4100 है०, खसरा नंबर 616 रकबा 0. 4600 हैं० खसरा नंबर 617 रकबा 0. 0300 है०, खसरा नंबर 618 रकबा 0.8300 है० खसरा नंबर 619 रकबा 0. 5300 है०, खसरा नंबर 620 रकबा 0.2100 है०, खसरा नंबर 622 रकबा 0.2700 है0 बनाये है। वादीगण ने खसरा नम्बर 624 मे से 0.0600 है. विक्रय कर दी शेष वादीगण की भूमि का ख.न. 662/624 रकबा 0.5900 है. रहा है। सेटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थीगण का रकबा तो सेटलमेनट पूर्व अनुसार सही बना दिया किन्तु जो सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा बनाया गया उस नक्शे में हेरा फेरी कर दी जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण के हिस्से में नक्शा में वर्णित खसरा नंबर 622 621, 620, 619 मे से लाल रंग से दर्शायी गयी लगभग 0.2800 है० भूमि प्रार्थीगण के साबिका खसरा नंबर 371/1 का भाग है किन्तु उक्त नक्शे में खसरा नंबर 622, 620, 619 में दर्शित लाल रंग की भूमि को अप्रार्थीगण के नाम लगा दिया व खसरा नंबर 621 की भूमि प्रार्थीगण के खाते में लगा दी जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। नक्शे में वर्णित खसरा नंबर 623, 624, 625 के सम्पूर्ण रकबे एवं खसरा नंबर 622, 621, 620, 619 के नक्शा टेस में लाल रंग से दर्शाये गये भाग पर मौके पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा है और उक्त भूमि प्रार्थीगण साबिका खसरा नंबर 371/1 का भाग है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने बुर्जुगो के समय से काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय होने तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि साबिका नम्बर 371, 345 का रुगनाथ, रामनारायण, रामकिशोर ने आपसी सहमति से तकास्मा करना स्वीकार है एवं मुताबिक तकास्मा रामनारायण के हक में खसरा नं. 371 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में से 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि दक्षिणी हिस्से में आयी खसरा नं. 475 में से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि आना एवं रामकिशोर पुत्र रामनाथ के खसरा नं. 371 में से 10 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 475 में से 1 बीघा भूमि आना स्वीकार है तथा उसी अनुसार पक्षकारान आज तक काबिज काश्त होना स्वीकार है बाकी कथन गलत है स्वीकार नही है। वास्तविक तथ्य यह है कि तत्कालीन खातेदारान रामनारायण, रघुनाथ, रामकिशोर द्वारा दिनांक 19.01.1973 को उप पंजीयक कार्यालय बसवा के समक्ष बंटवारा नामा इस आशय का तहरीर कर पंजीकृत कराया कि खसरा नं. 371 रकबा 19 बिस्वा 14 बिस्वा एवं खसरा नं. 475 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि में 1/3 रामनारायण, रघुनाथ, रामकिशोर प्रत्येक का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा है तथा उसी अनुसार प्राथीगण के पूर्वक रामनारायण के हिस्से में खसरा नं. 475 में से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि बांदीकुई बसवा रोड़ के समानान्तर एवं खसरा नं. 371 में से 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि दक्षिण हिस्से में कुल भूमि 11 बीघा 17 बिस्वा रही तथा उसी अनुसार रघुनाथ पुत्र भूरया के हिस्से में खसरा नं. 475 में से रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि पश्चिम की ओर रेलवे लाईन की तरफ रहेगी एवं उसी प्रकार मिन अप्रार्थीगण के 2 पूर्वज

Scanned with OKEN Scanner

रामकिशोर पुत्र रामनाथ के हिस्से में खसरा नं. 371 में से रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा हिस्से में रहेगी। जो भूमि खसरा नं. 371 में बसवा–बांदीकुई रोड़ पर समानान्तर दो हिस्से की भूमि पर व रामकिशोर एवं एक हिस्से पर रामनारायण का कब्जा था तथा उसी अनुसार खसरा नं. 475 में से बसवा–बांदीकुई सड़क पर समानान्तर 2 बीघा 19 बिस्वा अर्थात सड़क के सहारे तीन हिस्सो पर रामनारायण एवं एक हिस्से पर रामकिशोर का कब्जा था तथा उसी कब्जे अनुसार विधिक तकास्मा कराकर पक्षकारान काबिज है। खसरा नम्बर खसरा नम्बर 619,620,622 अप्राथीगण रिकार्ड खातेदार तथा वास्तविक स्वामी है। वास्तविक स्वामी के विरूद्ध टीआई जारी नही की जा सकती है। प्रार्थना खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलेकन किया गया यहां यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि बटवारे से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। वादी द्वारा मूल वाद दावा वाद अधिघोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज का है। जिसका निस्तारण दावे में साक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा पेश जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या नया 122 पुराना 107 के अनुसार खसरा नम्बर 619,620,622 अप्राथीगण की खातेदारी भूमि है। खातेदारी भूमि में किसी खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

2 सुविधा का संतुलन तथा 3 बिन्दु अपूर्णीय क्षति

इन दोनो बिन्दुओ का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु का संबंध है इस संबंध में न्यायालय की राय है कि प्रथम दृष्टया मामला यदि प्रार्थीगण के पक्ष तय कर पाते है तो उक्त दोनो बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की सकती है हस्तगस्त प्रकरण में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु अपने पक्ष में साबित नही किया है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष नही है ये दोनो बिन्दु ही उक्त अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित नही किये जाते है परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारित किये जाने योग्य है

आदेश

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संन्दर्भ में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन,अपूर्णीय क्षति, तीनो ही बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है इसलिये प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाकर वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील बांदीकुई मे स्थित खसरा नंबर 619, 620, 621, 622 में दिनांक 25.11.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे। आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/25

(रामसिंह राजावत)
उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई